

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्युरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhapura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: **MCDR-MiFLOPbZn/2/2022-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक: **26/09/2023**

प्रेषित: खान एजेंट,
बलारिया लेड जिंक खान,
मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
पोस्ट: जावर,
जिला: उदयपुर (राजस्थान),
पिन: 313901.

(e-mail: vekesh.chittora@vedanta.co.in, satish.thakare@vedanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी बलारिया लेड जिंक खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 23.08.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of Annual Return for the year 2022-23 following discrepancies have been observed: (i) Part I(11) Particular of the area operated-Lease: The area for which surface rights are held is not matching with the documents enclosed with Mod. Mining plan approved on 15.07.2021 (7)(II)The grade of concentrate given in Part-V(7)(II) is not in line with the grade of concentrate given in Part-VI(3). The grade of tailing is also not given. (ii) Part V(1) Exploration: Information at the beginning of the year is not given. (4) Overburden and Waste (in m3): Information at the beginning of the year, Generated during the year and Disposed in dumps during the year is not given. (7)(II)The grade of concentrate given in Part-V(7)(II) is not in line with the grade of concentrate given in Part-VI(3). The grade of tailing is also not given. (iii) Part-VI(2) Ex-Mine price of ore produced is given as Rs. 3666.00 but in Part-VII cost is given as Rs.5126.55 (iv)Part VII(iii): The Depreciation amount is not in the line with the total depreciation amount given in Part-IIA and also the Depreciation on fixed assets is not reported in Part-III (v) Part VII: In the last table the production proposal for financial year 2022 – 2023 and Production reported during the financial year 2022 – 2023 is not given.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।
03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो